

खातालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प .....

197

-:आदेश:-

दि. 18/3/19

प्राथी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी दियातरा व भूअनिदियातरा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार कोलायत/नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम ज्वक सैठिया तहसील कोलायत जिला बोकारन की जमाबन्दी सम्यत् 2072-75 में खाता संख्या 82 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1.	ज्वक सैठिया	82	$\frac{298}{198} - 6.15 \text{ ₹.}$	① $\frac{317}{198} - 0.06$ ② $\frac{318}{198} - 6.09$ <hr/> क्विटा 2 - 615

( )  
पीठासीन अधिकारी  
लोक अदालत  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर  
कोलायत जिला-बोकारन

दिनांक :-

दिनांक :-

प्रतिलिपि :-

- 1 तहसीलदार (डा.) कोलायत को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
- 2 प्राथी श्री ..... को सूचनार्थ।
- 3 रक्षित पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी  
लोक अदालत  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर  
उपखण्ड अधिकारी  
कोलायत जिला-बोकारन